सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्रीमती ज्ञानश्री, प्रवर सहायक को अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आधार पर श्रीमती ज्ञानश्री, प्रवर सहायक, कार्यालय, उप कृषि निदेशक (प्रसार), हरिद्वार, उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्रीमती ज्ञानश्री द्वारा अपना प्रत्यावेदन वापस लिया जा चुका है । अतः समिति द्वारा श्रीमती ज्ञानश्री का राज्यावंटन यथावत बनाये रखे जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमती ज्ञानश्री, प्रवर सहायक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिये बना रहेगा ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग,46,बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED